करने हेतु समय समय पत्रावली पेश
मुकदमा दि 01.05.17 को पेश हो।

उ.अ.

20.5.2017 न्याय आपके द्वार अभियान, 2017

शिविर - दूदापुरा

वादीगण अनुप
प्रतिवादी संख्या 1 एवं 5 उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या -5 जोगाराम का प्रार्थना पत्र O 1 R. 10 C.P.C. स्वीकार होने से वादपत्र पर उसे प्रतिवादी संख्या 5 लाल स्याही से दर्ज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध रेकार्ड का भी अवलोकन किया। वादीगण के वाद को उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त मेरिट्स पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि दूदापुरा के खसरा नं. 105 रकबा 0-36 हैक्टर, किता आ दो खसरा नं. 178

Contd—

जोगाराम
प्रति. संख्या

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
रकबा 0.17 हेक्टर का प्र० (ख०नं० 180 रकबा 0.24 हे० का प्र० कुल क्षेत्रफल 0=79 हेक्टर पुश्तैनी भूमि है, जिसमे वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी प्रतिवादी सं० 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी साक्षा-3 का 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषणा एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का निवेदन किया गया। प्रतिवादी साक्षा-2 एवं 3 के द्वारा इकबाली जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी सं० 4 एवं 5 की ओर आदिनांक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली एवं उपलब्ध गत एवं हाल रेकार्ड का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ~~मय~~ मौजा दुदापुरा के गत ख०नं० 42 एवं 67 से नये ख०नं० 105, 178 एवं 180 कायम किए गये है। गत रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी ~~के~~ सं० 1 से 3 के पिता/दादा पेमा के नाम दर्ज	उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होने से उक्त कृषि पुश्तैनी कृषि है वादग्रस्त कृषि में वादीगण एवं प्रतिवादी 02 से 3 का समान हक अधिकार है (क्यूंकि प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा अपने हिस्से में आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या-5 जोगाराम को विक्रय कर दिया है परिणामत: वादग्रस्त कृषि में वादीगण 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 5 का 1/8 हक हिस्सा खातेदारी का होना जाहिर है।
	अत: वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त कृषि मौजा डुंगापुरा के हाल ख० नं० 105, 178, 180 कुल रकबा 0=79 हेक्टर में वादीगण
उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	1 से 3 का 1/4 (चौथा) हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/4 (चौथा)

Page (3)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हिस्सा प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 (चौथा) हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 1 का 1/8 (आठवा) हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 5 का 1/8 (आठवा) हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है, तथा घोषित हिस्सो के अनुरूप वादग्रस्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1, 2, 3, एवं 5 के मध्य विभाजन की डिग्री भी पारित की जाती है। तहसीलदार देसूरी/पटवारी दुदापुरा उक्त हिस्सो के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 एवं 5 के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स कर केरवारा रिपोर्ट जिसमें पृथक खसरा नं०, क्षेत्रफल, लगान दर्शाते हुए तथा आवागमन के रास्तो की सुविधा रखते हुए विभाजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	देसूरी एवं पटवारी दुदापुरा को भिजवाई जावे। डिक्री पत्र मुरत्तिब हो। केरवारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से इन्द्राज पत्रावली कायम की जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश [illegible]) उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली) SDO देसूरी